

को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियाँ रजिस्टर्ड डाक से निजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद भी प्रस्तुत करें। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा कि जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करें। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक निस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/ वैकैट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.11.2019 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

आज दिनांक 11-11-19 को पत्रावली
पेश हुई।
राजकम
दिनांक 17-12-19 को पेश हो।

17/12/19 पत्रावली पेश हुई प्रवला के अप्रार्थी पत्रावली को
स्वीकृत नारायण प्रवला ने कालेसुगमा पत्रावली तथा
वादी के अधिकाधिक को करुवार अज्ञान लगाई जाने पर

Re
6
10
18

स्ट : मेर मु० जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट : मेर मु० जयपुर
फर्द अहकाम

बनाम

विशेष
विवरण

श्री उपरिष्ठ नं० १ आया है/अतः प्रसन्नता के साथ
आपकी/आपकी पक्षी में लोस्टिंग किया जाता है/प्राप्त
गएक संकल्प है।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

साथ अप्रार्थीगण
की प्रतियाँ
तथा आगामी
द भी प्रस्तुत
नामी सुनवाई
गी। प्रकरण
नकर तथा
विवेकाधीन
जारी की
ती है कि
आदेश की
न्यायालय
(क) के
न आदेश
से पूर्व
नों का
अस्थाई
शा में
जरिए
11.11.

कलेक्टर
जयपुर

Re
10
18

आपकी को
किया गया
आमेर पर

